

भारत में गठबन्धन की राजनीति का उद्भव एवं विकास

Dr. Nitin Kumar

(M.A., NET & Ph.D. in Political Science)

V.&P.O.- Ritauli,

District- Rohtak, Haryana, India

DOI: <https://doi.org/10.61165/sk.publisher.v12i3.5>

शोधालेख सार:- वस्तुतः भारत के संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका होती है। वास्तव में राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र के वाहक हैं जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भावनाओं का निर्धारण करते हैं तथा आम लोगों की राजनीति में सहभागिता में वृद्धि करते हैं। इसलिए भारत के संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों बढ़ती की भूमिका के कारण इन्हें लोकतंत्र का बेताज बादशाह कहा जाता है। राजनीतिक दलों पर देश की राजनीतिक संस्कृति और उसके सामाजिक मूल्यों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों की विविधतापूर्ण प्रकृति ही गठबंधन सरकारों के निर्माण की दिशा निर्धारित करती हैं। वर्ष 1989 के बाद लोकसभा में किसी भी अकेले दल को बहुमत प्राप्त न होने के कारण गठबंधन की राजनीति भारत के संसदीय लोकतंत्र में एक अपरिहार्य आवश्यकता के रूप में दृष्टिगोचर हुई और यह स्थिति 15वीं लोकसभा के चुनावों तक चलती रही। चूंकि वर्ष 2014 व 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकारों का निर्माण हुआ, परंतु ये दोनों गठबंधन सरकारें पहले की तुलना में राजनीतिक विकास का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती हैं, जिससे यह स्पष्ट हो चुका है कि गठबंधन सरकारों का निर्माण पूर्ण बहुमत की स्थिति में भी संभव है।

मूल शब्द:- संसदीय लोकतंत्र, गठबंधन सरकार, राजनीतिक दल, जनादेश।

भूमिका:-

भारत में वर्ष 1952 में लोकसभा के आम चुनाव हुए। इस दौरान कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और यह स्थिति वर्ष 1977 के लोकसभा चुनावों को छोड़कर 1989 तक बनी रही, लेकिन राज्यों की राजनीति में कांग्रेस का एकाधिकार वर्ष 1967 में हुए कई राज्य विधानमंडलों के चुनाव के साथ ही समाप्त हो गया। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय प्रकृति पर आधारित होने के कारण ही भारत में बहुदलीय प्रणाली कार्य कर रही है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यही है कि यह राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय चरित्र को पथभ्रष्ट करती है और जनादेश को विखण्डित कर देती हैं। वर्ष 1989 में केन्द्र में गठबन्धन राजनीति की आवश्यकता इसी कारण अनुभव की गई कि 9वीं लोकसभा के चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला जो अकेला सरकार बना सके। इसलिए कई राजनीतिक दलों ने मिलकर वर्ष 1989 में केन्द्र में गठबन्धन सरकार का निर्माण किया।

आज हमारे देश में गठबन्धन की राजनीति हमारी शासन व्यवस्था की पहचान बन चुकी है। वर्ष 1989 के बाद निरंतर गठबंधन सरकारों का गठन होता रहा है। चूंकि वर्ष 1998 में लोकसभा के मध्यावधि चुनावों के बाद यह विश्वास व्यक्त किया गया कि यह भारत में अन्तिम गठबन्धन सरकार है और आने वाले दिनों में कोई भी अकेली पार्टी ही सरकार बनाने में सक्षम होगी, परन्तु यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई और उसके बाद भी भारत में गठबन्धन सरकारों का दौर जारी रहा। लेकिन वर्ष 2014 में लोकसभा के चुनावी जनादेश का भाजपा के पक्ष में आना संसदीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है।

गठबन्धन राजनीति की अवधारणा:-

‘गठबन्धन’ शब्द लेटिन भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे ‘कोलीशन’ कहा जाता है और लेटिन में इसे ‘कोलीरियो’ कहते हैं। इसकी उत्पत्ति स्वयं ‘कोलेसर’ से हुई। ‘को’ का अर्थ है – ‘एक साथ’ तथा ‘लेसर’ का अर्थ है – ‘आगे बढ़ना’। अतः इसका शाब्दिक अर्थ हुआ – ‘एक साथ आगे बढ़ना’।

सामान्य रूप से भारत में गठबन्धन की राजनीति का अर्थ है – “शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ दलों या कई दलों द्वारा सरकार चलाई जाती हो”। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब कई राजनीतिक दल सरकार निर्माण के लिए गठबन्धन करते हैं और न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के तहत राजनीतिक शक्ति का संचालन करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को गठबन्धन की राजनीति या सांझा-सरकार कहा जाता है। इस प्रकार की सरकार का गठन प्रायः उस समय होता है जब कोई भी दल लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसी अवस्था में कुछ राजनीतिक दल गठबन्धन बनाकर सरकार चलाती हैं। ऐसा उस अवस्था में भी सम्भव है जब चुनावों से पहले कुछ दल एक गठबन्धन करते हैं और चुनावों के बाद वे बहुमत वाले गठबन्धन के रूप में उभरकर सामने आते हैं। ऐसी सरकार में गठबन्धन में शामिल सभी दल शामिल होते हैं और सांझा कार्यक्रम के तहत कार्य करके सरकार चलाते हैं। भारत में वर्ष 2014 व 2019 में गठित सरकारें इस प्रकृति की सरकारें हैं। राजनीतिक लाभ के लिए जब कुछ राजनीतिक दल, एक सामान्य कार्यक्रम के आधार पर मिल जाते हैं और इस प्रकार की सरकार की स्थापना करते हैं तो उसे गठबन्धन या मिली-जुली सरकारों की राजनीति की संज्ञा दी जाती है। यह राजनीतिक हितों का स्थायी अथवा अस्थायी गठबन्धन है, इसे संघर्षरत हितों का जोड़ भी कहा जा सकता है।

भारत में गठबन्धन की राजनीति का उद्भव एवं विकास:-

यदि भारत के सन्दर्भ में गठबन्धन सरकारों की आवश्यकता को समझा जाए तो इससे संसदीय शासन प्रणाली का बदला हुआ स्वरूप प्रकट होने लगा। भारत में दलीय प्रणाली के बहुध्रुवीकरण ने क्षेत्रवाद को बढ़ाया है। भारत में क्षेत्रीय दलों की चुनावों में बढ़ती भूमिका ने गठबन्धन की राजनीति को अपरिहार्य सा बना दिया है। वर्ष 1989 के बाद जब कोई भी अकेला दल लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया तो गठबंधन की राजनीति के द्वारा गठबंधन सरकार का निर्माण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गयी।

वैसे तो भारत में गठबन्धन की राजनीति कोई आधुनिक अवधारणा नहीं है। जब हम इसके इतिहास का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि वर्ष 1937 के चुनावों के बाद पंजाब में एक तरह से गठबन्धन सरकार का ही गठन हुआ था। केबिनेट मिशन के तहत नेहरू के नेतृत्व में वर्ष 1946 में गठित अन्तरिम सरकार भी गठबन्धन सरकार थी

क्योंकि इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल तथा कुछ अन्य वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे। 14 सदस्यीय इस सरकार में नेहरू प्रधानमंत्री थे। इसके कैबिनेट में 6 सदस्य कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, एक अकाली दल से, एक एंग्लो-इंडियन समुदाय से और एक पारसी समुदाय से था।

भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952-1989 तक के युग में भारत में गठबन्धन सरकार केन्द्र स्तर पर सीमित मात्रा में बनी, परन्तु राज्यों में पर्याप्त संख्या में गठबन्धन सरकारें बनती देखी गई। वर्ष 1952-57 में आंध्र प्रदेश, 1957-62 उड़ीसा में और 1964 में केरल में राज्य सरकारें गठबन्धन पर आधारित थी। वर्ष 1967 के आम चुनावों के बाद इनकी संख्या आठ हो गई और ये केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश तक फैल गई। पश्चिमी बंगाल व केरल में ये 1977 के बाद भी स्थिर रही, परन्तु दूसरे राज्यों में ये अस्थिरता की तरफ बढ़ती रही।

एन0 डी0 पामर का यह मत बहुत कुछ सही है कि 1967 के आम चुनावों ने कांग्रेस के एकदलीय अधिकारवाद का यदि अन्त नहीं किया तो कम से कम उसे धराशायी अवश्य ही कर दिया। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल-बदल और गठबन्धन सरकारों की उत्पत्ति चौथे आम चुनावों के फलस्वरूप हुई। यद्यपि आजादी के बाद पंजाब में कांग्रेस और अकाली गठबन्धन की सरकार बनी थी जिसमें समाजवादी पार्टी और हिन्दू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे, परन्तु वर्ष 1967 के चुनावों ने भारतीय राजनीति व संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। इससे कांग्रेस का आधिपत्य बुरी तरह टूट गया और गैर-कांग्रेसी संविद मंत्रिमण्डलों ने भारत में राज्यों की राजनीति के सन्दर्भ में कई राज्यों में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया।

इसी तरह भारत में वर्ष 1989 में नौवीं लोकसभा के चुनावी जनादेश ने राजनीतिक दलों के सामने एक विचित्र प्रकार का राजनीतिक परिवेश उत्पन्न कर दिया। इन चुनावों में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और कोई भी दल अकेला सरकार बनाने में सक्षम नहीं था। वास्तव में यह लोकसभा का त्रिशंकु रूप था, जिसमें सरकार बनाने के लिए जोड़-तोड़ की राजनीति की गई और वी0 पी0 सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस दौरान संसदीय दल के नेता के चयन में काफी परेशानियाँ पैदा हुई और ऐसा ही विश्वासमत प्राप्त करते समय हुआ। विश्वास मत के दौरान ही यह सरकार टूट गई और इससे राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण पैदा हुआ जो त्रिशंकु लोकसभा का सम्भावित परिणाम था।

इसी तरह आगे चलकर जब वर्ष 1991 में दसवीं लोकसभा के चुनाव हुए तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भारतीय मतदाताओं ने किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न देकर पुनः त्रिशंकु संसद की रचना की। इस चुनाव में कांग्रेस को सर्वाधिक 225 सीटें प्राप्त हुईं तथा उसने ही जोड़-तोड़ करके नरसिम्हा राव के नेतृत्व में गठबन्धन सरकार बनाई जो 1996 तक चली। इसका प्रमुख कारण यह रहा कि नरसिम्हा राव ने धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया और अल्पमत की सरकार बहुमत की सरकार में बदल गई। इस सरकार के सामने अनेक चुनौतियाँ बनीं रही, परन्तु इस सरकार ने अपना कार्यकाल पुरा किया।

अंततः वर्ष 1996 में हुए लोकसभा चुनावों का परिदृश्य पहले जैसा ही रहा। इस चुनाव में भाजपा को 162 तथा कांग्रेस को 141 स्थान मिले। अतः यह लोकसभा भी त्रिशंकु बनी। इस चुनाव में भाजपा बड़े दल के रूप में उभरी। राष्ट्रपति ने उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, परन्तु यह सरकार विश्वास मत प्राप्त न कर पाने की स्थिति

में 13 दिन चली। उसके बाद जोड़-तोड़ की राजनीति के तहत एच0 डी0 देवगौड़ा और गुजराल सरकारों का गठन भी इसी लोकसभा की अवधि में हुआ, परन्तु वे भी स्थायी नहीं रही।

इसके बाद वर्ष 1998 में गुजराल सरकार के पतन के बाद लोकसभा के मध्यावधि चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में भी पूर्ववर्ती स्थिति ही रही। कांग्रेस को 140 तथा भाजपा को सर्वाधिक 182 सीटें मिली। इस त्रिशंकु संसद में गठबन्धन की राजनीति का प्रयोग करके भाजपा ने फिर से सरकार बनाई, परन्तु यह सरकार केवल 13 महीने ही चली और एक बार फिर से मध्यावधि चुनावों का बिगुल बज गया। वास्तव में त्रिशंकु लोकसभा होने के कारण इसमें बनने वाली सरकार के मार्ग में भी वही बाधाएं बनी रही जो पूर्ववर्ती सरकारों के मार्ग में थी।

तत्पश्चात वर्ष 1999 में तेरहवीं लोकसभा के चुनावी परिणाम भी हतप्रभ करने वाले रहे। इन चुनावों में भाजपा को इस बात का लाभ रहा कि उसने इस बार चुनाव से पूर्व ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन का निर्माण करके चुनाव लड़ा था। इस मोर्चे को 305 सीटें मिली और कांग्रेस का सफाया हो गया। चुनाव पूर्व गठबन्धन की राजनीति ने त्रिशंकु लोकसभा के उस मिथक को झुठला दिया कि त्रिशंकु लोकसभा में बनने वाली सरकार अल्पमत सरकार होती है। इस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया और राजनीतिक स्थायित्व की नई परम्परा शुरू की।

वर्ष 2004 में फिर से लोकसभा चुनावों के परिणाम ठीक विपरीत निकले। इस समय कांग्रेस गठबन्धन को 221 स्थान मिले तथा भाजपा गठबन्धन की करारी हार हुई। अंततः यह जनादेश भी विखण्डित रहा। चुनावों के बाद कांग्रेस ने गठबन्धन की राजनीति के तहत गठबन्धन सरकार का निर्माण किया। इस सरकार को वामदलों का बाहरी समर्थन प्राप्त था, इसलिए अनेक गतिरोधों के बावजूद यह अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रही। इसके बाद वर्ष 2009 में हुए 15वीं लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने अपनी संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार-2 का निर्माण किया और अपना कार्यकाल पूरा किया।

कांग्रेस के निरंतर 10 वर्ष के शासनकाल में कई घोटाले हुए तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया। इसका लाभ भाजपा ने उठाया तथा सुशासन व भ्रष्टाचार के मुद्दे को आधार बनाकर अपना चुनाव प्रचार किया। जब वर्ष 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए तो भाजपा अकेले 282 सीट जीतने में सफल रही। फिर भी चुनाव पूर्व गठबन्धन धर्म को निभाते हुए एक गठबन्धन सरकार का निर्माण किया। इस चुनाव में कांग्रेस को केवल 44 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। भारत की राजनीति के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब कोई भी दल विरोधी दल की भूमिका निभाने की स्थिति में रहा। ऐसे ही वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबन्धन को 336 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। इस बार भी कांग्रेस विरोधी दल की स्थिति में नहीं रही। इस बार फिर से श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठबन्धन सरकार बनी, जो निरंतर राष्ट्रीय हित में कार्य कर रही हैं।

सारांशः—

इस प्रकार गठबन्धन की राजनीति ने संसदीय लोकतंत्र में अवसरवादिता व मूल्यहीन राजनीति को जन्म दिया। वर्ष 1989 के बाद क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका ने राष्ट्रीय दलों की स्थिति कमजोर की और बार-बार बनने वाले बेमेल गठबन्धनों ने संसदीय लोकतंत्र की छवि को भी धूमिल किया है। गठबन्धन के तहत बनने वाली सरकारों ने देश में अनेको घोटाले किये तथा प्रधानमंत्री के पद की गरीमा को भी धूमिल किया। संसद का नोट कांड सर्वविदित हैं।

इसी तरह के अन्य घोटाले व भ्रष्टाचार ने तो समस्त सीमाएं ही लांघ दी। इस दौरान लोकतंत्रीय मूल्यों का जो पतन हुआ, उसने तो भारत के संसदीय लोकतंत्र के भविष्य पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया। परंतु वर्ष 2014 के लोकसभा के चुनावी जनादेश ने लम्बे समय से चला आ रहा राजनीतिक अस्थिरता का दौर समाप्त कर दिया। वर्तमान में भी 2019 में गठित भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्ण बहुमत के साथ गठबंधन सरकार कार्य कर रही है। अब ऐसा लगता है कि भारत के शासन की बागडोर सुरक्षित हाथों में है।

संदर्भ सूची:

- १ मोदी, महावीर प्रसाद, 'लोकतन्त्र और संयुक्त सरकारें', रजनी तिवारी, सम्पादित, भारत में दलीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2003
- २ जैन, पुखराज एवं फाडिया, बी० एल०, भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन, आगरा, 2012
- ३ गोस्वामी, भालचन्द्र, संसदीय लोकतन्त्र में विपक्ष की भूमिका, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 1997
- ४ जैन, राजेश, क्षेत्रीयवाद और भारतीय राजनीति, भावना प्रकाशन, दिल्ली, 2004
- ५ गोस्वामी, एन० के०, भारत में संसदीय व्यवस्था, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2005
- ६ सिंह, मोहन, 'जवाब संसदीय जवाबदेही का', दैनिक जागरण, 15 फरवरी, 2006
- ७ दैनिक भास्कर, रोहतक, 17 मई, 2014
- ८ दैनिक भास्कर, रोहतक, 24 मई, 2019

... Cite this article ...

Kumar, Dr. N. (2025). भारत में गठबंधन की राजनीति का उद्भव एवं विकास. SK INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH HUB, 12(3), 35–39.
<https://doi.org/10.61165/sk.publisher.v12i3.5>